

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,
सर्वाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

“महाराणा प्रताप पुरस्कार”
आवेदन प्रपत्र वर्ष 2009–10

1. खेल का नाम :	फोटो
2. खिलाड़ी का नाम :	
3. पिता/पति का नाम :	
4. वर्तमान पता :	
.....	
फोन/मोबाइल नं. :	
5. स्थाई पता :	
.....	
6. खिलाड़ी का मूल निवास :	
7. वर्तमान निवास का स्थान एवं कब से	
.....	
8. जन्म तिथि (अंकों में) :	
(शब्दों में) :	
9. शैक्षणिक योग्यता :	
10. व्यवसाय :	
11. गत तीन वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण वर्षवार स्पष्ट रूप से संलग्न प्रपत्र के अनुसार तैयार कर आवेदन पत्र के साथ भिजवायें।	
12. खिलाड़ी को विशेष उल्लेखनीय सफलता, उनका खेल व प्रदर्शन संबंधी प्रमाण—पत्र एवं समाचार पत्रों आदि के उदाहरण आदि आवश्यकता होने पर अलग पृष्ठ पर विशेष टिप्पणी भी दी जावे। किसी अन्य स्त्रोत से कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण भी संलग्न करें।	
13. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी प्रतिस्पर्धा में अनुशासनहीनता यथा डोपिंग/निष्कासन आदि के लिए खेल संघ/आयोजन समिति/क्रीड़ा परिषद्/सरकार द्वारा कोई कार्यवाही हुई है/लंबित है :	

उपरोक्त प्रस्तुत समस्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं, कोई भी त्रुटि/असंगतता पाई जाने पर पुरस्कार हेतु मेरी पात्रता स्वतः ही रद्द समझी जायें।

हस्ताक्षर खिलाड़ी

- नोट :- 1. जन्मतिथि/शिक्षा/मूल निवास/व्यवसाय/पहचान पत्र की सत्यापित प्रतिलिपियां भी संलग्न करनी हैं।
2. विगत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही आवेदन करें।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्,
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

महाराणा प्रताप पुरस्कार वर्ष 2009–10 के लिए विवरण प्रपत्र

1. खेल का नाम :
2. खिलाड़ी का नाम :
3. फोन / मोबाइल नं. :
4. खेल उपलब्धियों का विवरण:—

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम, आयोजन स्थल एवं वर्ष	टीम जिसकी ओर से खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में भाग लिया	प्राप्त स्थान

हस्ताक्षर खिलाड़ी

नोट :- (1) उपरोक्त समस्त प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
(2) उपरोक्त प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में गत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण भरा हुआ होना चाहिए।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त खिलाड़ी ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया है। महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान करने हेतु श्री/ श्रीमती पिता/ पति के नाम की सिफारिश की जाती है। इनकी सिफारिश करने का निर्णय राज्य संघ की कार्यकारिणी में निर्णय संख्या दिनांक द्वारा किया गया है, निर्णय की प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त दी गई जानकारी सही है।

**राज्य संघ के पदाधिकारी के
(अध्यक्ष/सचिव) हस्ताक्षर मय मोहर**